

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-प्रतिपुत्रि दत्ता त्रिपु-२४६/२०२०-१४२२(मो०) /पटना, दिनांक-०७/७/२०२०

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल.....।


विषय:- योजनाओं का Reimbursement Claim भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रायः सभी कार्यपालक अभियन्ता द्वारा योजनाओं का Reimbursement Claim बिना अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षर के सीधे विभाग को भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि योजनाओं का Reimbursement Claim मुख्य अभियन्ता के माध्यम से विभाग को भेजी जाय।


विश्वासभाजन


अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1422 (मो०)

/पटना, दिनांक-०७/७/२०२०


प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल..... एवं मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1422 (मो०)

/पटना, दिनांक-०७/७/२०२०

प्रतिलिपि- विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।